OFFICE OF THE DIRECTOR OF INCOME TAX (EXEMPTION) 6TH FLOOR,
PIRAMAL CHAMBERS, PAREL, MUMBAI-400 012
022-24137883 (D) / 24132731 EXTN. 2616

No.DIT(E)/ITO(Tech)/80G/2010-11 Dated : 14.03.2011

The Trustee/s,
TATA MEMORIAL CENTRE
(TATA MEMORIAL HOSPITAL & ACTREC),
Dr. Ernest Boreges Marg,
Parel,
Mumbai-400 012.

With reference to your letter filed in this office on 09/03/2011 for seeking clarification regarding validity of certificate issued u/s.80G of the Act. It is brought to your knowledge that an amendment was made to section 80G(5)(vi) through Finance Act (No.2) 2009.

In view of the same there is no need to seek renewal of the certificate already issued u/s.80G and which is valid upto 31.03.2011. The same certificate is valid from 01.04.2011 **onwards till it is rescinded** and subject to the same conditions and also subject to the condition that your case should not be hit by the newly inserted proviso to section 2(15) of the Act.

This letter is issued at the request of the assessee trust.

(D.S. TALIKOTI)
Income-tax Officer (E)(TECH.),
for DIT(E), Mumbai.

कार्यालय,आय कर निदेशक (छूट)

छठी मंजिल,पीरामल चैम्बर्स,लालबाग मुंबई ४०००१२.

आदेश संख्या :आ.नि.(छू)/मु.न./८०-जी/1237/2007-08

निर्धारिती का नाम ओर पता	:	**TATA MEMORIAL CENTRE (TATA MEMORIAL HOSPITAL & ACTREC)** Dr. Ernest Boreges Marg, Parel, Mumbai 400 012.
2A रजिस्ट्रेशन सं.	:	TR/12128 dated 30/10/1992
आवेदन की तारीख	:	27/11/2007
स्था.ले.सं	:	AAA TT 3620 R
आदेश की तारीख	:	07/02/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)

(प्रारंभिक /नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन /आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उर संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के की शर्तो को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त व अवज्ञा दुरूपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्थ को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तो पर दी जाती है

i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.

ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.

iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.

iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए),धारा १२एए(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा १०(२३),१०(२३सी)-(vi)(vi-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा ८०-जी(५)(i)(ए)के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी.साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.

v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा

vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.

vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.

viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.

ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए औरबताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.

x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.

xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा.आयकर अधिनियम १९६१,की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

(आर. के. सिन्हा)
आयकर निदेशक (छूट),मुंबई.

प्रतिलिपि - १.) आवेदक २.) फाईल

(मनुलाल बैठा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी),मुंबई.

(TO BE PUBLISHED IN PART II, SUB-SECTION (ii) OF SECTION 3 OF THE GAZETTE OF INDIA)

TATA MEMORIAL CENTRE
DIRECTOR'S OFFICE
RECEIVED ON
Date.

Tata Memorial Centre
Tata Memorial Hospital
Received On
18 AUG 2008
Director
Ref.
Attention

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 19th August, 2008

Notification

S.O. It is hereby notified for general information that the organization **Tata Memorial Centre, Mumbai,** has been approved by the Central Government for the purpose of clause **(ii)** of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (said Act), read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (said Rules), **with effect from 1.4.2006** in the category of **'other Institution'**, partly engaged in research activities subject to the following conditions, namely:-

(i) The sums paid to the approved organization shall be utilized for scientific research;

(iii) The approved organization shall carry out scientific research through its faculty members or its enrolled students;

(iii) The approved organization shall maintain **separate books of accounts** in respect of the sums received by it for scientific research, reflect therein the amounts used for carrying out research, get such books audited by an accountant as defined in the explanation to sub-section (2) of section 288 of the said Act and furnish the report of such audit duly signed and verified by such accountant to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax having jurisdiction over the case, by the due date of furnishing the return of income under sub-section (1) of section 139 of the said Act;

(iv) The approved organization shall maintain a **separate statement of donations** received and amounts applied for scientific research and a copy of such statement duly certified by the auditor shall accompany the report of audit referred to above.

Contd.........p. 2

3. The Central Government shall withdraw the approval if the approved organization:-

(a) fails to maintain **separate books of accounts** referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
(b) fails to furnish its audit report referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 1; or
(c) fails to furnish its statement of the donations received and sums applied for scientific research referred to in sub-paragraph (iv) of paragraph 1; or
(d) ceases to carry on its research activities or its research activities are not found to be genuine; or
(e) ceases to conform to and comply with the provisions of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the said Act read with rules 5C and 5E of the said Rules.

Renu Jauhri

(Renu Jauhri)
Director (ITA.II)

Notification No. 84/2008 (F.No.203/118/2007 /ITA-II)

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi

Copy forwarded to:

1. The applicant organisation.
2. The Director General of Income Tax (Exemptions), New Delhi
3. Comptroller & Auditor General of India.
4. DIT (E), Mumbai
5. Concerned File
6. Ministry of Law & Justice (Correction Section), New Delhi.
7. DIT(Systems), New Delhi, for placing on the website incometaxindia.gov.in
8. Guard file.

Renu Jauhri

(Renu Jauhri)
Director (ITA.II)